महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर (म0प्र0)

कार्यालय : फोन : 07682–244442, फैक्स : 07682–244442
E-mail - mchhatrasaluniversity@gmail.com
mcbu.academic@gmail.com

क्रमांक / अकादमिक / निरंतरता / A 156/1 / 2025 छतरपुर दिनांक 23/04/2025

अधिसूचना

श्री आनन्द महाविद्यालय , लवकुशनगर जिला छतरपुर (म0प्र0) को विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 24 (Xii) एवं 26 (1) (V) एवं धारा 35 (j) के अंतर्गत सम्बद्धता व निरंतरता प्रदान की गई है।

महाविद्यालय द्वारा निरंतरता शुल्क जमा करने के फलस्वरूप विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 22.11.2024 के बिन्दु कमांक 06 में की गयी अनुशंसा एवं माननीय कार्यपरिषद की 39 वीं बैठक दिनांक 30.11.2024 में किये गये अनुमोदन उपरांत महाविद्यालय को सत्र 2024–25 के लिये निरंतरता निम्न शर्तो के तहत प्रदान की जाती है :–

क्रं0	महाविद्यालय का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	रिमार्क
सत्र – 2024–25			
1.	श्री आनन्द महाविद्यालय , लवकुशनगर जिला छतरपुर	बी.एड सभी अनिवार्य विषय	निरंतरता
		बी.एससी.बी.एड सभी अनिवार्य विषय	निरंतरता

शर्ते :–

1. महाविद्यालय को परिनियम 28 एवं **UGC/NCTE** के प्रावधानानुसार शैक्षणिक व अशैक्षणिक स्टॉफ की पूर्ति पूर्ण करना होगी।
2. महाविद्यालय को कॉलेज कोड 28 के तहत संचालित पाठयकमों में पूर्ण नियुक्तियां 06 माह में पूर्ण करनी होगी।
3. महाविद्यालय को परिनियम 27 में उल्लेखित सभी प्रावधानों की पूर्ति एवं पालन करना होगा।
4. परिनियम 27 व 28 में उल्लेखित समस्त समितियों की बैठक करायी जाये व प्रत्येक बैठक का कार्यवृत्त नियम समय पर विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
5. शासन द्वारा जारी अकादमिक कलैण्डर का पालन महाविद्यालय को अनिवार्यतः करना होगा।
6. समन्वय समिति की 100 वीं बैठक के निर्णयानुसार सत्र 2023–24 से निर्धारित की गयी सम्बद्धता एवं निरंतरता शुल्क के अनुसार भुगतान करना होगा।
7. विश्वविद्यालय द्वारा कार्यपरिषद में लिये गये निर्णयानुसार निरीक्षण समिति द्वारा आकस्मिक रूप से महाविद्यालय का निरीक्षण कराने में कमी पाये जाने पर सम्बद्धता व निरंतरता समाप्त की जा सकती है।
8. म0प्र0 शासन उच्च शिक्षा विभाग एवं **UGC/NCTE** तथा विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर जारी समस्त निर्देशों का महाविद्यालय को पालन सुनिश्चित करना होगा।
9. **UGC/NCTE** द्वारा जारी मान्यता पत्र में उल्लेखित की गयी समस्त शर्तो का पालन सुनिश्चित करना होगा।
10. **UGC/NCTE** द्वारा निर्धारित सीटों के अनुसार ही प्रवेश दिये जाये तथा इन सीटों के अनुसार सभी आवश्यक शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक सुविधायें सुनिश्चित की जायें।
11. अशासकीय महाविद्यालयों से संबंधित सामान्य शर्ते एवं समस्त नियम यथावत लागू होगें।
12. किसी भी गलत जानकारी के लिये आवेदक संस्था समिति के अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगे।

आदेशानुसार

कुलसचिव

पृ0क्रमांक / अकादमिक / निरंतरता A 156/1/ 2025 छतरपुर दिनांक 23/04/2025

प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव के माध्यम से आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुडा भवन भोपाल (म0प्र0)
2. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा विभाग सागर संभाग सागर (म0प्र0)
3. प्राचार्य शासकीय अग्रणी महाविद्यालय छतरपुर जिला छतरपुर (म0प्र0)
4. प्राचार्य श्री आनन्द महाविद्यालय , लवकुशनगर जिला छतरपुर (म0प्र0)
5. कुलगुरू / कुलसचिव के निजी सचिव, महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड वि0 वि0 छतरपुर (म0प्र0)
6. उपकुलसचिव परीक्षा / गोपनीय, महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड वि0 वि0 छतरपुर (म0प्र0)
7. वेवसाइट प्रभारी की ओर वि0वि0 की वेवसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. मूल नस्ती हेतु।

कुलसचिव

L.Nir.2023-24/sparsh/1000000130